

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2024

सा.का.नि. 14.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में अपर निदेशक के पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अपर निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- यहाँ इसके साथ संलग्न पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) तक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अपर निदेशक।	8 (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधधीन।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-13 (123100-215900 रुपए)।	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) 75 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा; और (ii) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रु.) में उप निदेशक या क्षेत्रीय निदेशक ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो या स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा विहित किसी अन्य संस्थान द्वारा संबंधित क्षेत्रों में प्रदान किए गए दो सप्ताह के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अधिकारी; (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों को धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -12 (रु. 78800-209200) या उसके समकक्ष के पदों पर नियमित आधार पर	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे: 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; 2. महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - सदस्य; 3. संयुक्त सचिव आंतरिक सुरक्षा-II, गृह मंत्रालय -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

458

नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; (ii) नियामक विधियों को लागू करने और उनसे संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करने में दस वर्ष का अनुभव। वांछनीय:- आर्थिक अपराधों सहित दांडिक अपराधों की जांच में चार वर्ष का अनुभव टिप्पण 1- फीडर ग्रेड में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी रेखा में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होंगे; इसी तरह प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि आती है, साधारणतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

[फा. सं. I-12014/10/2022-एनसीबी-II]

नीरज कुमार बनसोड, संयुक्त सचिव